A 7/1

न्यायालय अपर कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.

निगरानी संख्या 03/2014

प्रार्थीगण — **बनाम्** — **अप्रार्थीगण**

1.रूपाराम पुत्र उदाराम
2.रूगाराम पुत्र उदाराम
3.गोरखाराम पुत्र उदाराम
4.शेराराम पुत्र उदाराम
5.हेमराज पुत्र बालाराम
जाति जाट निवासीयान
खारिया तला,भाडखा
तहसील,बाड़मेर

बनाम्

1.हेमाराम पुत्र दुर्गाराम जाति
जाट निवासी पांचाणियो की
ढाणी,भाडखा तहसील,बाड़मेर
2.सरपंच ग्राम पंचायत भाडखा
3.ग्राम सेवक एंव पदेन सचिव
.ग्राम पंचायत भाडखा
4.विकास अधिकारी,पंचायत
समिति,बायतु

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम वास्ते निरस्त करने पट्टा 27 संख्या दिनांक 26.01.2002 जो सरपंच ग्राम पंचायत, भाडखा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 हेमाराम के नाम जारी किया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

उपस्थितः— 1. श्री रेखाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री डालुराम गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3. श्री सुनील मेराजा अधिवक्ता अप्रार्थी सं.02 की ओर से।
4. अप्रार्थी संख्या 03 व 04 अनुपस्थित।

आदेश दिनांक 27.03.2015

1. प्रार्थीगण ने यह निगरानी ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 हेमाराम के पक्ष में जारी आवासीय भूखण्ड का पट्टा को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थीगण की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत भाडखा ने अप्रार्थी संख्या 01 हेमाराम को ग्राम भाडखा में भूखण्ड का पट्टा संख्या 27 दिनांक 26.01.2002 को जारी किया गया। प्रार्थी का यह कथन है कि ग्राम भाडखा में, भाडखा से भीमड़ा जाने वाली डामर सड़क पर उसका आबादी भूमि(बाड़ा)स्थित है,जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत भाडखा से मिलीभगत कर, [illegible] कपटपूर्ण,अवैध तरीके से पट्टा जारी करवाया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत [illegible] एवं निर्धारित प्रकिया नहीं अपना कर मिसल कायम किये बिना पट्टा जारी कर दिया। इसलिये अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त किये जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:28:19 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

A 7/2

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत भाडखा से निगरानी से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया। ग्राम पंचायत भाडखा की ओर से ग्राम सेवक एंव पदेन सचिव ग्राम पंचायत भाडखा ने दिनांक 29.04..2014 को उपस्थित होकर जवाब पेश कर, बताया कि ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा पट्टा संख्या 27 दिनांक 26.1.2002 हेमाराम पुत्र दुर्गाराम को जारी किया गया, जिसकी मिसल का संधारण नहीं किया है। कार्यवाही रजिस्टर ढूँढा गया, मगर प्राप्त नहीं हुआ।

4. अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने दिनांक 21.07.2014 को जवाब पेश कर निगरानी के पद संख्या 02 से 07 गलत होने से अस्वीकार करते हुए जवाब में बताया कि जारी पट्टा पर अप्रार्थी के पुत्रों के कच्चे–पक्के आवासीय कमरे बने हुऐ हैं, और उनके पुत्रों का आवास हैं। इसमें अप्रार्थी को बिजली की सुविधा 10 सालों से प्राप्त हैं। अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी विक्रय विलेख में कोई विधिक अनियमितता नहीं है। इसलिये प्रार्थी की निगरानी सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमाई जावे।

5. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा निर्धारित प्रकिया अपनाऐं बिना अप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 160 तक की अनदेखी करके पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व विधिक रूप से प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है,स्थल निरीक्षण के लिये 25/–की राशि जमा नहीं कराई है, नक्शा फीस जमा नहीं कराई है न ही मौका का नक्शा तैयार किया गया है। किसी रजिस्टर में अप्रार्थी संख्या 01 के प्रार्थना पत्र का इन्द्राज नहीं किया गया है। स्थल निरीक्षण के लिये तीन पंचो की समिति का गठन नहीं किया गया है न ही विधि सम्मत आपति नोटिस जारी किया गया है। पट्टे पर मिसल संख्या जारी करना अंकित हैं, मगर इस प्रकार की कोई मिसल ग्राम पंचायत में कामय ही नहीं हुई है। ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 12 दिनांक 26.01.2002 के अनुसरण में पट्टा जारी किया गया है, किन्तु दिनाक 26.01.2002 को पंचायत की बैठक में इस पट्टा का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि पट्टा संख्या 27 में खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं है। पट्टे के कॉलम संख्या 2,3 व 4 खाली है,पट्टा में कांट–छांट कर रखी है। इसमें बाद में नाम लिखे गये है। पट्टे की कार्बन कॉपी पर अलग पेन स्याही से नाम लिखे गये है। वादग्रस्त पट्टा एक ही दिन में बिना विधिक प्रकिया अपनाए,बिना आवेदन के दिनांक 26.01.2002 को गणतंत्र दिवस की छुट्टी के दिन जारी किया गया है। तहसीलदार,बाड़मेर की मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 01 का सरकारी भूमि–गैर आबादी भूमि में कब्जा बताया है। राजस्थान पंचायती राज नियम नियम 145 से 160 में विहित प्रकिया की

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(प्र.सी.एस.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:28:19 IST
Reason: SelfAttested

A 2/3

पालना बिये बिना पट्टा जारी किया है। RLR 2000(2) chaman Lal versus state of Raj and ors (Full Bench)S. B. Civil Writ petition no 1389/2004 Smt Rampyari versus Additional District Collector Bhilwara and ors.,AIR 1994 sc 853 SP Chengalvaraya Naidu versus Jagannath and ors. 1993 CCC 572 (P& H) Mukhtayar Singh versus State and ors. के कानूनी दृष्टांत पेश करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में नियम की पालना नहीं होने से जारी पट्टा पूर्णतया अवैध,बनावटी मिलीभगत कर जालसाजी,कपटपूर्ण होने से खारिज करने हेतु निवेदन किया।

6. इसके जवाब में अप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि ग्राम भाडखा से भीमड़ा जाने वाली डामर रोड पर आबादी भूमि में प्रार्थीगण का कोई आबादी भूमि बाड़ा नहीं है। अप्रार्थी ने अपने निजी स्वामित्व एंव कदीमी कब्जा के भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत भाडखा के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया था। जिस पर पत्रावली कायम कर मौका निरीक्षण करने का आदेश पारित किया गया। आपतियां पेश करने के बाद एक माह का नोटिस जारी किया गया। इसके बाद समस्त कार्यवाही विधि अनुसार उपरान्त अप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा जारी किया गया है, वह सही है। उन्होने तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 01 को नियमानुसार पुराने सद्भाविक पीढियों के कब्जे के आधार पर पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी के आवेदन पत्र की पंचायत की बैठक में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया था। वादग्रस्त भूखण्ड पर लगातार अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। वादग्रस्त पट्टा की भूमि अप्रार्थी के पुत्रों का आवास है जिसमें कच्चे पक्के आवासीय कमरे बने हुए है तथा बिजली की सुविधा भी मिली हुई है। यह पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के साथ अन्य सह स्वामी गोरखा,अचला पिता हुकमात था मेसु पुत्र दुर्गा के पक्ष में जारी होकर उपपंजीयक बाड़मेर के कार्यालय में पंजिबद्ध हुआ है। जिससे पंजिबद्ध पट्टा को खारिज नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी के पक्ष में तत्कालीन सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही के पश्चात् विक्रय विलेख जारी किया गया था। अन्त में उन्होने निगरानी को बिना आधार एंव गलत तथ्यों के आधार पर बताते हुए प्रार्थीगण की निगरानी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

7. अप्रार्थी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि ग्राम पंचायत ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा जारी किया है। पट्टा जारी करने में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। इसलि[illegible] की निगरानी खारिज की जाए।

8. हमने दोनो पक्षों के त[illegible]दार,बाड़मेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट एंव प्रस्तुत कानूनी दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे स[illegible] निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत भाडखा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:28.19 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(रा.)

अप्रार्थी संख्या 01 को जारी पट्टा से सम्बन्धित कायम की गयी मिसल एंव कार्यवाही रजिस्टर तलब करने पर ग्राम सेवक एंव पदेन सचिव ग्राम पंचायत ने अपने पत्र क्रमांक ग्रा. प./14–15/02 दिनांक 28.4.2014 में ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा पट्टा संख्या 27 दिनांक 26.01.2002 हेमाराम पुत्र दुर्गाराम को जारी करना, इसकी मिसल का संधारण नहीं होना एंव कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं होना बताया। अप्रार्थी संख्या 01 ने सरपंच ग्राम पंचायत भाडखा को पट्टा जारी करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया। यह आवेदन पत्र किस तारीख को लिखा गया व किस तारीख को सरपंच के समक्ष पेश किया गया है, उसकी प्रति न तो अप्रार्थी संख्या 01 ने पेश की है और न ही ग्राम पंचायत ने पट्टा से सम्बन्धित कोई मिसल कायम एंव कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध कराया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 145 के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड क्रय करना चाहता है तो अपने आवेदन पत्र में भूमि का विवरण देगा जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो और आवेदन पत्र के साथ 25/– की राशि जमा करानी चाहिये और स्थल का नक्शा तैयार करने हेतु भी 25/– जमा कराने चाहिये। मगर इस मामले में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा राशि जमा कराने का कोई साक्ष्य नहीं है। नियम 146 के तहत 3 पंचो की समिति प्रतिनियुक्त कर स्थल रिपोर्ट मंगाने का प्रावधान है, जो इस नियम के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ में वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगी। इस भूखण्ड बाबत मौका निरीक्षण कमेटी नियुक्त करने के प्रस्ताव बाबत कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है। नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक से पूर्व समिति में अनंतिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्रारूप 2 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करना था। इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करनी चाहिये थी। मगर इस मामले में कोई नोटिस जारी करने का कोई साक्ष्य नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध पट्टे की प्रति के अवलोकन से ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्ररूप 23 नियम 167(1) में 3250 वर्ग फीट भूमि का पट्टा संख्या 27 दिनांक 26.01.2002 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 167(1)के अनुसार नियम 153 में उपबंधितानुसार संदाय कर दिये जाने, नियम 154 में उपबंधित अनुसार विक्रय की पुष्टि कर दिये जाने और नियम 166 के अधीन अपील,यदि कोई हो,निपटा दिये जाने,या यदि कोई भी अपील नहीं की गयी हो तो उसके लिये विहित समय सीमा के समाप्त हो जाने के पश्चात् [illegible] भूमि के विक्रय का साक्ष्य का देने वाला प्ररूप 23 में लिखा गया एक [illegible] किया जायेगा। इससे यह प्रकट होता है कि यह पट्टा नियम 151 से [illegible] के तहत जारी किया गया है, और 300 वर्ग गज से अधिक माप का पट्टा जारी नहीं [illegible] जा सकता। इस नियम के तहत जारी पट्टा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:28:19 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(रा.)

A 7/5

अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है। अप्रार्थी संख्या 01 को जारी पटटा की भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार,बाड़मेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी। मौका रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द एंव नजरी नक्शा अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 को जारी भूखण्ड ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 475/334 रकबा 31 बीघा किस्म गैर मुमकिन व खसरा नम्बर 686/334 रकबा 68 बीघा किस्म गैर मुमकिन (सरकारी भूमि)की सीमा पर भाडखा से भीमड़ा जाने वाली डाक सड़क पर बताया है। ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा अप्रार्थी को जारी किया गया पट्टा संख्या 27 दिनांक 26.01.2002 व मौके पर किये गये कब्जे में काफी भिन्न बतायी गयी है। उक्त भूखण्ड में सड़क के किनारे रांगे भरी हुई होना, रांगो के पीछे की तरफ पतरों का कमरा बना हुआ होनाएंव उसमें अप्रार्थी हेमाराम का निवास बताया है। विवादित स्थल के पास एक नया ईटों का कमरा बना हुआ होना एंव अप्रार्थी द्वारा आबादी भूमि से बाहर सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा होना बताया है। नजरी नक्शा में संकेत **ABCDEF** आबादी भूमि में कब्जा एंव **BCHHIJ** सरकारी भूमि (गैर आबादी)में कब्जा बताया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 का आबादी भूमि पर कब्जा होना प्रकट नहीं होता है। धारा 97 राजस्थान पंचायती राज नियमों में पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही की वैधता,शुद्धता एंव औचित्यता का मूल रेकर्ड से परीक्षण करने का प्रावधान है। मगर इस मामले में ग्राम पंचायत भाडखा ने मिसल ग्राम पंचायत भाडखा में कायम नहीं होना एंव कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं होना बताया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत भाडखा ने नियम 145 से 167 की पालना नहीं कर, मिसल कायम किये बिना एंव निर्धारित प्रक्रिया अपनाये बिना ही अप्रार्थी संख्या 01 के हक में पट्टा संख्या 27 दिनांक 26.01.2002 जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने से खारिज करने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भाडखा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 26.01.2002 को खारिज किया जाता हैं।

(ओ.पी.विश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (मु.ओ.प्र.)

आदेश आज दिनांक 27.03.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (मु.ओ.प्र.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:28:19 IST
Reason: SelfAttested